न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 106/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00282

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.सुआ कंवर पत्नी नरपतसिंह 2.सुगन कंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपुत निवासी लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.तेजसिंह पुत्र हमीरसिंह 2.भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह 3.राणसिंह पुत्र हमीरसिंह 4.मनोहरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपुत निवासी लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.सरपंच ग्राम पंचायत नवातला 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री सुरेश नारायण खारवाल,अधिवक्ता वादीनीगण की ओर से उपस्थित
2.प्रतिवादी एकतरफा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 17.10.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा लाखाणियो की ढाणी वर्तमान राजस्व ग्राम बैरड़ों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 284 रकबा 176–01 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 28.03.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादीनीगण की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार [illegible] अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनीगण [illegible] से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी बावजूद [illegible] कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:12 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वादीनीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लाखाणियो की ढाणी वर्तमान राजस्व ग्राम बैरड़ों की ढाणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 284 रकबा 176–01 बीघा भूमि के संबध में बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	सुआकंवर पत्नी नरपतसिंह 3/5 हिस्सा सुगनकंवर पत्नी हरिसिंह 2/5 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बैरड़ो की ढाणी	284	2.4281	बा.सो.	1.80	नक्शे में दर्शित अनुसार
2	तेजसिंह पुत्र हमीरसिंह 3421/16105 भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह 2021/16105 राणसिंह पुत्र हमीरसिंह 3521/16105 मनोहरसिंह पुत्र हमीरसिंह 3521/16105 दाखुकंवर बेवा हमीरसिंह 3521/16105 जाति राजपूत सा. देह खातेदार सरपंच ग्राम पंचायत नवातला (लाखाणियों की ढाणी) 20/3221 हिस्सा	बैरड़ो की ढाणी	284	26.0568	बा.सो.	19.28	नक्शे में दर्शित अनुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तरदीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:12 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– **श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– **106/2019**

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– **2019/00282**

वादीनीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1.सुआ कंवर पत्नी नरपतसिंह 2.सुगनकंवर पत्नी हरीसिंह जाति राजपुत निवासी लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.तेजसिंह पुत्र हमीरसिंह 2.भंवरसिंह पुत्र हमीरसिंह 3.राणसिंह पुत्र हमीरसिंह 4.मनोहरसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपुत निवासी लाखाणियों की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 5.सरपंच ग्राम पंचायत नवातला 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–53 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 106/2019
निर्णय दिनांक :–17.10.2023

वादीनीगण की ओर से श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 17.10..2023 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादीनीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 17.10.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया -----	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	[illegible] --------
जोड़	–	जोड़	-------

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:12 IST
Reason: SelfAttested